रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31052022-236149
CG-DL-E-31052022-236149

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 31, 2022/ज्येष्ठ 10, 1944
No. 383]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 31, 2022/JYAISHTHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2022

आय-कर

सा.का.नि. 404(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 245ब की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियमों में, नियम 44च के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"44चक. धारा 245ब की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश के संबंध में उच्च न्यायालय को अपील फाइल किए जाने का प्ररूप और रीति— अग्रिम विनिर्णय बोर्ड द्वारा सुनाए गए किसी विनिर्णय या पारित किए गए आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 245ब की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निदेश पर निर्धारण अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय को अपील फाईल किए

जाने का प्ररूप और रीति वही होगी जो उच्च न्यायालय में अपील फाईल किए जाने के लिए उस क्षेत्राधिकारिता वाले उच्च न्यायालय द्वारा अधिकथित लागू प्रक्रिया में यथा उपबंधित है।"

[फा.सं. 57/2022/फा.सं.370142/31/2021-टीपीएल (भाग 3)]

शेफाली सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 346(अ) तारीख 10 मई, 2022 द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st May, 2022

INCOME-TAX

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 245W read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. **Short title and commencement.—(**1) This rule may be called the Income-tax (Sixteenth Amendment) Rules, 2022.

   (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 44F, the following rule shall be inserted, namely:—

   "**44FA. Form and manner of filing appeal to the High Court on ruling pronounced or order passed by the Board for Advance Rulings under sub-section (1) of section 245W.—** The form and manner of filing appeal to the High Court under sub-section (1) of section 245W of the Act against a ruling pronounced or order passed by the Board for Advance Rulings by the assessee, or the Assessing Officer on the directions of the Principal Commissioner or Commissioner, shall be the same as provided in the applicable procedure laid down by the jurisdictional High Court for filing an appeal to the High Court.".

[F. No. 57/2022/ F. No. 370142/31/2021-TPL(Part III)]

SHEFALI SINGH, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969(E) dated 26th March, 1962 and were last amended vide notification number GSR 346(E) dated 10th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.31 19:38:42 +05'30'